



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125799

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 23566 वर्ष 2026

जय प्रकाश सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राजीव कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एम.के. सिंह को सुना गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन आवेदक द्वारा थाना गगाहा, जिला गोरखपुर से संबंधित वाद अपराध संख्या- 847 वर्ष 2010 से उद्भूत आपराधिक मामला संख्या- 1600 वर्ष 2011 अंतर्गत धारा 147, 341, 504, 282, 506 आईपीसी एवं धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम में दाखिल प्रकीर्ण आवेदन संख्या- 2344 वर्ष 2026 में आपराधिक शर्त संख्या-(1) में अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या- 6, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2026 को निरस्त करने के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने पासपोर्ट जारी करने के संबंध में आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया था।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक एक पासपोर्ट धारक है, जिसकी पासपोर्ट संख्या पी5131175 है, जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा सभी आवश्यक सत्यापन करने के बाद दिनांक 27.10.2016 को जारी किया गया था। आवेदक ने उक्त पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन किया था, परंतु शर्त संख्या- 1 के तहत संबंधित पासपोर्ट प्राधिकारी को आवेदक के पक्ष में केवल एक वर्ष के लिए पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया गया था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और कानून की स्थिति पर विचार किए बिना पारित किया गया है।

5. भारत सरकार ने एक अधिसूचना संख्या जीएसआर570(ई) प्रख्यापित की है। उक्त अधिसूचना के दिशानिर्देश नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"जी.एस.आर. 570(ई)- पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 298(ई), दिनांक 14 अप्रैल, 1976 को अधिक्रमित करते हुए, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत के उन नागरिकों को, जिनके विरुद्ध भारत में किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में कार्यवाहियां लंबित हैं और जो संबंधित न्यायालय से भारत से बाहर जाने की अनुमति देने वाले आदेश प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (च) के प्रावधानों के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट देती है:-

(क) ऐसे प्रत्येक नागरिक को जारी किया जाने वाला पासपोर्ट जारी किया जाएगा-

(i) ऊपर संदर्भित न्यायालय के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, यदि न्यायालय वह अवधि विनिर्दिष्ट करता है जिसके लिए पासपोर्ट जारी किया जाना है; या

(ii) यदि ऐसे आदेश में न तो पासपोर्ट जारी करने के लिए और न ही विदेश यात्रा के लिए कोई अवधि विनिर्दिष्ट की गई है, तो पासपोर्ट एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा,

(iii) यदि ऐसा आदेश एक वर्ष से कम की अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देता है, लेकिन पासपोर्ट की वैधता अवधि विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तो पासपोर्ट एक वर्ष के लिए जारी किया जाएगा; या

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) यदि ऐसा आदेश एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देता है, और पासपोर्ट की वैधता विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तो पासपोर्ट आदेश में विनिर्दिष्ट विदेश यात्रा की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

(ख) उपरोक्त (क)(ii) और (क)(iii) के निबंधनों के अनुसार जारी किया गया कोई भी पासपोर्ट एक बार में एक वर्ष के लिए आगे नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदक ने न्यायालय द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए विदेश यात्रा न की हो; और बशर्ते यह भी कि, इस बीच, न्यायालय का आदेश रद्द या संशोधित न किया गया हो;

(ग) उपरोक्त (क)(i) के निबंधनों के अनुसार जारी किया गया कोई भी पासपोर्ट केवल एक नए न्यायालय के आदेश के आधार पर ही आगे नवीनीकृत किया जा सकता है जिसमें पासपोर्ट की वैधता की अगली अवधि विनिर्दिष्ट हो या विदेश यात्रा के लिए अवधि विनिर्दिष्ट हो;

(घ) उक्त नागरिक पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित में एक वचनपत्र देगा कि यदि संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यक हुआ, तो वह इस प्रकार जारी किए गए पासपोर्ट के लागू रहने के दौरान किसी भी समय उसके समक्ष उपस्थित होगा।

[संख्या- VI/401/37/79]

एल.के. पोनप्पा, संयुक्त सचिव (सीपीवी)"

अधिनियम, 1967 की धारा 22 के प्रावधान इस प्रकार हैं:-

"22. छूट देने की शक्ति-- जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे,-

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किसी भी प्रावधान के प्रवर्तन से छूट दे सकती है; और



(ख) जितनी बार आवश्यक हो, ऐसी किसी अधिसूचना को रद्द कर सकती है और पुनः उसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसे प्रावधानों के प्रवर्तन के अधीन कर सकती है।"

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा बताए गए प्रथम दृष्ट्या कारण विचित्र हैं। मामला वर्ष 2010 से लंबित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पासपोर्ट प्राधिकारी ने आवेदक के विरुद्ध उपरोक्त मामला लंबित होने के कारण रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था। यह संज्ञान में लिया गया है कि पासपोर्ट आवेदनों के संबंध में प्राप्त होने वाले संदर्भों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कई सुसंगत बातों और निर्देशों का उल्लेख किया गया है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) एआईआर एससी 597** के निर्णय पर अवलम्ब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि पासपोर्ट रखना भारत के नागरिक का एक मौलिक अधिकार है और किसी नागरिक को ऐसे मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदक द्वारा एक घोषणा की जानी चाहिए कि आवेदक को भारत में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और उसे दो वर्ष या दो वर्ष से अधिक की कैद की सजा नहीं दी गई है, साथ ही अन्य प्रासंगिक जानकारी भी दी जानी चाहिए। यह विवाद में नहीं है कि आवेदक पूर्व में दोषी नहीं है।

8. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(घ) और 21 के तहत प्रगणित तथ्यों और कानून की स्थिति तथा **मेनका गांधी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित कानून के आलोक में, आदेश दिनांक 09.03.2026 में लगाई गई शर्त संख्या- 1 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

9. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

5 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।